143

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. रिव्यू / रिव्यू-475-I-16

नरेन्द्र सिंह पुत्र वृन्दावन सिंह

ग्राम परसोना तहसील व जिला भिण्ड

--- आवेदक

बनाम

1. दरोगा सिंह पुत्र मेहरवान सिंह

2. बालाल पुत्र अमृत सिंह

दोनो निवासी ग्राम परसोना तहसील

व जिला भिण्ड म.प्र.

3. म.प्र. शासन --- अनावेदक गण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू. रा.सं. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 7.1.16 द्वारा पारित न्यायालय राजस्व मण्डल (श्री एम.के. सिंह सदस्य) प्र. क्र. आर 2263 / सेकण्ड /12

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि, सर्वे न. 901 रकवा 1 बीघा स्थित ग्राम परसोना तह. व जिला भिण्ड के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदक के पिता वृन्दावन सिंह थे जो अपने पूर्वजो के जमाने से इस विवादित नम्बर पर खेती करते थे व पशुओ के बांधने के लिये वृक्ष लगाये जिसको मौजा पटवारी द्वारा फलदार वृक्ष ना होने पर भी नोइयत बगिया दर्ज कर दी जिसकी सूचना मेरे पिता को नही दी किन्तु खेती करने से मौजा पटवारी द्वारा कब्जा मेरे नाम निरन्तर एवं लगातार खसरे में अंकित है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 475–एक/2016 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। अनावेदक क्र0 3 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 2263/दो/2012/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07–01–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत पुर्नविलोकन प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा इस न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व मण्डल ने प्रश्नाधीन आदेश में स्पष्ट किया है कि खसरा संबत 2032 लगायत 2035 के कॉलम नंबर 2 में ग्राम परसोना की भूमि सर्वे क्रमांक 901 रकबा 1 बीघा की नोइयत बगिया दर्ज है और इसी बगिया नोईयत की भूमि को तहसीलदार ने आदेश दिनांक	

12.10.2004 से व्यवस्थापित किया है, जबकि काबिलकास्त भूमि ही कृषि कार्य हेतु व्यवस्थापित की जा सकती है, क्योंकि बगिया अर्थात् बगीचा की भूमि बाग–बगीचे के लिये यानि वृक्ष उगाने के लिये सुरक्षित रहती है। इस प्रकार तहसीलदार का आदेश दिनांक 12.10.04 त्रुटिपूर्ण होने से अनुविभागीय अधिकारी ने सही निर्णय लेकर निरस्त किया है, जिसके कारण आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 75/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16.11.2011 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। जहॉ तक व्यवस्थापन दिनांक 12.10.04 को तहसीलदार भिण्ड को भूमि बन्टन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ न होने का प्रश्न है? आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष दिया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप आयुक्त द्वारा नहीं की गई है। इसके अलावा आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह स्पष्ट नहीं किया है कि तहसीलदार भिण्ड का आदेश दिनांक 12.10.2004 किन कारणों से ही है। जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष एवं आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2011 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है और राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा इन्हीं आधारों पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को यथावत रखा गया है। ऐसे में मेरे मतानुसार न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया आदेश विधि के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः मैं राजस्व मण्डल, ग्वायिलर के आदेश से सहमत हूँ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2016 विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत पुर्नविलोकन का आवेदन सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । यदि आवेदक चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य